

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकड्डा, हजारीबाग।

आदेश पत्रक

वाद संख्या : 126 / 2020-21 2017

लेख्य प्रकार- राजस्व-आय-जमाबंदी


3.11.20

अभिलेख का संधारण E-Court (Revenue) में लंबित वाद के विरुद्ध किया गया। उपरोक्त वाद से संबंधित अभिलेख का संधारण वर्ष 2016-17 में किया गया था। कार्यालय के नये भवन में हस्तांतरण के क्रम में अभिलेखके अन्यत्र रख दिये जाने एवं नहीं मिलने के कारण पुनः सृजन किया गया। अपर समाहर्ता, हजारीबाग के पत्रांक-1389/रा0 दिनांक 24.06.2016 के आलोक एवं निदेशन भू-अर्जन सह विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं0-03-खा0म0 नीति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित अनुदेश/निर्देश के अनुपालन में गै0 म0 खास भूमि के विरुद्ध कायम की गई जमाबंदियों की जांच के क्रम में राजस्व उप नि0 एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नवत् गै0 म0 खास भूमि की जमाबंदी कायम है।

ग्राम	खाता	खंसरा	रकबा	जमाबंदीदार रैयत का नाम	पंजी-2 का पृ0सं0/भाग
कोनरापुर	1	-	0.41	श्री0 नरेश कुमार श्री0 शशि किशोर	121/2

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने उपरोक्त वर्णित जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए प्रतिवेदन दिया है।

अतः संबंधित को संधारित जमाबंदी के विरुद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 23.11.20 को उपस्थापित करें

  
अंचल अधिकारी  
बरकड्डा

23/11/20

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तामिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/स0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016-2074, दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में जांच की गई। जमाबंदीदार रैयतों द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी के विरुद्ध भूतपूर्व जमींदार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व का हुकुमनामा, वर्ष 1955-56 से लगायत रसीद, भूतपूर्व जमींदार का Form-M एवं सरकारी स्तर पर किये गये वंदोबस्ती संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) में विहित प्राधानुसार जमाबंदी सं0 121/2 बनाम श्री0 नरेश कुमार को संदेहात्मक मानते हुए रद्द करने की आवृत्ति की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही को भेजें।


  
अंचल अधिकारी  
बरकड्डा

संदिग्ध / संदेहास्पद जगावंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जगावंदी रैयत का नाम - वीवी-नरसिंहन पति डिप्ली-विनार
2. जगावंदी से संबंधित भूमि का विवरण :- को. खा. रं.

मौजा	थाना रां०	खाता रां०	प्लॉट रां०	रकबा
<u>को. ६२२५६</u>	<u>११</u>	<u>१</u>	<u>-</u>	<u>०.१५</u>
3. जगावंदी पंजी-11 के जिल्द संख्या I पृष्ठ सं०-(12) पर कायम है -
4. जगावंदी किस वर्ष कायम है - १९७९-७९
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- को. खा. रं.
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जगावंदी कायम की गई है - —
7. यदि संदेहास्पद जगावंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जगावंदी रैयत का नाम —
8. मूल जगावंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूखंदावस्ती - —)
9. संदेहास्पद जगावंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (शुतपूर्ण जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोवस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी-11 रं.
10. संदेहास्पद जगावंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली नं०
	<u>६९६८६८</u>	<u>१/१२/९१</u>	<u>१९९१-९२</u>

  
23/11/2020

संविन्ध/अवैध जमाबन्दी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला  
चेक लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - हयादपूर/बिकरगंज  
 2. क) अवैध जमाबन्दीदार का नाम - पीवीनलाल 29/1/1970 5/10/1970  
 ख) अवैध जमाबन्दी की भूमि की विवरणी -

नॉंजा	थाना न०	खारा सं०	खेत्तरा सं०	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7
<u>कोनहरी</u>	<u>99</u>	<u>01</u>	<u>-</u>	<u>0.14</u>	<u>गैर खेत</u>	<u>गोबर की महरा खुदे के</u> <u>गैर खेत/किसानी भू-29/1/70</u> <u>पर अंचल दर्ज है।</u>

3. भूमे का वर्तमान स्वरूप - पट्टा  
 4. अवैध जमाबन्दी पंजी 11 में कब से संधारित है - 1978-79  
 5. उक्त जमाबन्दी पंजी 11 में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम -  
 (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें।  
 6. नामान्तरण/दाखिल -खारिज उपरान्त संधारित जमाबन्दी के मामलों में मूल जमाबन्दी रैथत की विवरणी -  
 7. अवैध जमाबन्दी कायम किये जाने का आधार  
 i) अनिविधित सादा हुकुमनामा  
 ii) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद सं० एवं पारित आदेशानुसार)  
 iii) अवैध भू-बन्दोबस्ती (वाद सं० के साथ)  
 8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादस पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रूपये कम या इससे अधिक)  
 9. अवैध जमाबन्दी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है -  
 i) भूत पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से -  
 ii) अंचल /अनुमंडल में संधारित बन्दोबस्ती पंजी से -  
 iii) दाखिल-खारिज/भू-हस्तांतरण/नामान्तरण पंजी से - पंजी 11 व  
 10. क) अवैध जमाबन्दी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है?  
 11. क्या दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? - नए  
 12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड बुझारत पंजी में दखल कब्जा अवैध जमाबन्दीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? - नए  
 13. राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित - नए  
 14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरान्त मनाथ सहित स्पष्ट प्रतिवेदन - नए

अंचल अधिकारी भूमि सुधार उपसमाहर्ता अनुमंडल पदा० अपर सनाहर्ता उपायुक्त

23/11/2020

23/11/2020  
4/11/20